

उत्तर प्रदेश ने एस्केलेटर वधियक और लोकायुक्त संशोधन वधियक, 2024 पारति कया चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश लफिट और एस्केलेटर वधियक, 2024 तथा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) वधियक, 2024 पारति कया।

मुख्य बदि:

- वधियक के कानून बनने के बाद ऊर्जा विभाग की मंजूरी के बिना लफिट और एस्केलेटर नहीं लगाए जा सकेंगे।
 - मरम्मत न कराने और मानकों की अनदेखी करने पर मालकि या संबंधति संस्था पर जुर्माना लगाया जाएगा।
 - वधियक में प्रावधान कया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर लफिट और एस्केलेटर लगाने के लिये पंजीकरण अनविर्य होगा।
 - इनका प्रत्येक पाँच वर्ष में नवीनीकरण कराना होगा, सालाना परीक्षण कराना होगा और इसके लिये 1500 रुपए शुल्क जमा करना होगा।
- उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) वधियक, 2024 के तहत लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त का कार्यकाल आठ वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दया गया और अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई है।
- महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और हरयाणा जैसे राज्यों में लफिट लगाने के लिये अपने कानून हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके लिये ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
 - इसके लागू होने से न सर्फ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा बल्कि व्यवस्था भी मज़बूत होगी।

लोकायुक्त

- लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल है, जसि भारत की प्रत्येक राज्य सरकारों के माध्यम से और उसके लिये नषिपादति कया जाता है।
- यह एक भ्रष्टाचार वरिधी व्यवस्था है। कसिी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य लोक सेवकों के वरिद्ध शकियातों, आरोपों की जाँच करना है।